रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228067
CG-DL-E-01072021-228067

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 465(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार **उत्तराखंड** सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियमावली, 2021 कहा जाएगा ।

   (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में, अनुसूची-।। में :-

   (क) राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ‘क’ में, तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली “**उत्तराखंड**” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"उत्तराखंड

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, यूजेवीएनएल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अपर मुख्य सचिव एवं आईडीसी/एफआरडीसी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, कार्मिक, जीएडी, एसएडी, एचआरडी, सतर्कता एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, गृह कारागार एवं होम गार्ड्स	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, उद्योग वाणिज्य एवं नागरिक उडड्यन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक कल्याण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आवासीय आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, गृह एवं आपदा प्रबंधन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, वन एवं वाटरशेड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, आईटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, लोक निर्माण विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, परिवहन, शहरी विकास एवं आवासन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, खेल एवं युवा कल्याण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, सिंचाई, लघु सिंचाई और पेयजल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्यमंत्री के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, गढ़वाल एवं ग्रामीण विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, कुमाऊं एवं निदेशक एटीआई	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, वित्त एवं उत्पाद शुल्क	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, विद्युत	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, पर्यटन एवं जैव-पर्यटन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14"

(ख) भाग ख" में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने वाले पदों सहित वेतन लेने वाले पदों में उत्तराखंड प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"निदेशक, उद्योग एवं एमडी एसआईडीसीयूएल
आयुक्त, श्रम एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार एवं डीजी शिक्षा
निदेशक, संस्कृति एवं खेल
परिवहन आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक परिवहन निगम
महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क (डीआईपीआर)
पंजीयक, सहकारिता, आयुक्त, उत्पाद शुल्क, कर एवं आईजी, स्टैम्प एवं पंजीकरण
जिलाधिकारी
अपर सचिव
उपाध्यक्ष, एमडीडीए (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण)
मुख्य विकास अधिकारी
नगरपालिका आयुक्त, नगरपालिका निगम देहरादून
वीसी, एचडीए, हरिद्वार
प्रबंध निदेशक, जीएमवीएन
प्रबंध निदेशक, केएमवीएन"

[फा. सं. 11031/01/2020 -अ.भा.से.-II-(ख)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि. 870(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या और तारीख द्वारा संशोधित किए गए थे:-

क्रम सं.	जीएसआर सं.	तारीख
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178 (अ)	27.12.2016
3.	1194 (अ)	30.12.2016
4.	575 (अ)	12.06.2017
5.	1382 (अ)	10.11.2017
6.	1429 (अ)	17.11.2017
7.	1585 (अ)	22.12.2017
8.	566 (अ)	15.06.2018
9.	819 (अ)	28.08.2018
10.	1124 (अ)	16.11.2018
11.	1222 (अ)	19.12.2018
12.	218 (अ)	13.03.2019
13.	766 (अ)	09.10.2019
14.	813(अ)	30.12.2020
15.	51(अ)	28.01.2021
16.	108(अ)	09.02.2021

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021.

G.S.R. 465 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Uttarakhand hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,–

(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry "**Uttarakhand**" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

"Uttarakhand

Chief Secretary & Chairman UJVNL	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary & IDC/FRDC	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Personnel, GAD, SAD, HRD Vigilance & Chief Electoral Officer	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Home Jail & Home Guards	Level 15 in the pay matrix
Chairman Board of Revenue	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Forests & Rural Development Commissioner	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Industry Commerce & Civil Aviation	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary, Social Welfare, Women Empowerment & Child Development, Minority Welfare	Level 15 in the pay matrix
Resident Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Rural Development & Panchayati Raj	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Home & Disaster management	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Forest & Watershed	Level 14 in the pay matrix
Secretary, IT Science & Technology	Level 14 in the pay matrix
Secretary, PWD	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Health, Medical Education, Food & Supplies	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Transport, Urban Development & Housing	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Sports & Youth Welfare	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Irrigation Minor Irrigation & Drinking Water	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Chief Minister	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Garhwal & Rural Development Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Kumaun & Director ATI	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Finance & Excise	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Power	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Tourism and Ecotourism & CEO Tourism Development Board	Level 14 in the pay matrix"

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Uttarakhand the following shall be substituted,–

"Director, Industries & MD SIDCUL
Commissioner, Labour and Director, Training & Employment & DG Education
Director, Cultural & Sports
Transport Commissioner & MD Transport Corporation
Director General, Information & Public Relation (DIPR)
Registrar, Co-operatives, Commissioner Excise, Taxes & IG Stamps & Registration
District Magistrate
Additional Secretary
Vice Chairman MDDA (Mussoorie Dehradun Development Authority)
Chief Development Officer
Municipal Commissioner, Municipal Corporation Dehradun
VC, HDA, Haridwar
MD, GMVN
MD, KMVN"

[F. No. 11031/01/2020-AIS-II(B)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 870 (E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	**GSR No.**	**Date**
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178 (E)	27.12.2016
3.	1194 (E)	30.12.2016
4.	575 (E)	12.06.2017
5.	1382 (E)	10.11.2017
6.	1429 (E)	17.11.2017
7.	1585 (E)	22.12.2017
8.	566 (E)	15.06.2018
9.	819 (E)	28.08.2018
10.	1124 (E)	16.11.2018
11.	1222 (E)	19.12.2018
12.	218 (E)	13.03.2019
13.	766 (E)	09.10.2019
14.	813(E)	30.12.2020
15.	51(E)	28.01.2021
16.	108(E)	09.02.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.01 22:07:27 +05'30'